



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 92]

No. 92]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 13, 2003/ज्येष्ठ 23, 1925
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 13, 2003/JYAISTHA 23, 1925

नागर विमानन मंत्रालय

(भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2003

फा. सं. एएआई/पर्स/ई डी पी ए/आर ई जी/2002. — भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55) की धारा 42 की उप-धारा (2) के खंड (ख) और उप-धारा (4) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (छुट्टी) विनियम, 2003 है।

(2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना— ये विनियम निम्नलिखित के सिवाय प्राधिकरण के सभी कर्मचारियों को लागू होंगे:—

(क) व्यक्ति जो प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर हैं;

(ख) व्यक्ति जो आकस्मिक या दैनिक-दर पर या अंशकालिक नियोजन में हैं; और

(ग) व्यक्ति जो संविदा पर नियोजित है सिवाए तब के जब संविदा में अन्यथा

उपबंधित हो।

3. परिभाषाएं:— इन विनियमों से जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) "प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी" से प्राधिकरण द्वारा चाहे पूर्णकालिक या अंशकालिक आधार पर नियुक्त चिकित्सा अधिकारी या ऐसा रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है जिसके पास एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस./बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस. के रूप में न्यूनतम अर्हता हो;

(ख) "प्राधिकरण" से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "सक्षम प्राधिकारी" से किसी शक्ति के प्रयोग के संबंध में, प्राधिकरण का अध्यक्ष या कोई सदस्य या कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है जिसको अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त